

बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना। (कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- 205

प्रेषक,

राकेश कुमार भा०व०से० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

सेवा में,

विषय -

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना।

- बिहार सरकार, पटना। पटना 15, दिनांक- & 4/02/202) अररिया जिलान्तर्गत NH-327 E अररिया–रानीगंज (99.00–101.00 कि॰मी॰) पथांश पर
- ROB एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.27 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/26423/2017/2976 दिनांक 01.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई थी। सैद्धान्तिक सहमति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया के पत्रांक 881 (अनु०) दिनांक 30.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है जो निम्नवत् है–

क्रम सं	MoEF&CC क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्र दिनांक 01.03.2019 में निहित कंडिका	अनुपालन		
1 Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि प्रस्तावित पथांश में अपयोजित होने वाली वन मूमि के Legal status (वैधानिक स्थिति) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।		
2	The State Govt. shall charge the Net Present Value (NPV) of forest area proposed to be diverted under this proposal from the user agency as per the Orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.27 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 1,69,020/- (रूपये एक लाख उनहत्तर हजार बीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है।		
市理学	Note: Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Govt. from the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, अंतिम आदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त NPV की राशि देय होगी तो उसका भुगतान किया जायेगा।		

- 3	The State Government Shall plant 3500 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably within or in the surrounding area of the project. Indigenous tree species should be preferred for such plantation. The user agency shall transfer the cost of plantation and its maintenance for 10 years (revised as on the date to incorporate the existing wage structure) to State Forest Department.	की कुल राशि रू० 38,37,922 /- (रूपये अड़तीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ बाईस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry website पर प्रदर्शित है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा NPV एवं CA मद की कुल राशि रू0 40,06,942 /- (रूपये चालीस लाख छ: हजार नौ सौ बियालीस) मात्र को ऑन लाईन के माध्यम से Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जिसका UTR		
4	User Agency should ensure that the Compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the State-I clearance.			
5 a -	Felling of trees as required should be done under the supervision of the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के Supervision में आवश्यकतानुसार कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।		
b -	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake afforestation measures along the roads segment covered under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के उपरान्त इन शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा।		
c	Earth or any other material shall not be brought from and debris resulting during construction shall not be disposed of in the adjoining forest area by the user agency.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेंगा और न ही कचड़ें आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।		
6 a	It will be the responsibility of the User Agency to ensure that the labourers and staff engaged in construction activity do not damage the nearby forest flora and fauna.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में मजदूरों एवं अन्य कर्मियों द्वारा वन क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।		
b	The Usre Agency shall provide LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas for collection of firewood for their use.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि पथ निर्माण के क्रम में नियोजित मजदूर एवं Working staff को LPG सुविधा दी जायेगी जिससे नियोजित कर्मी निकट के वन को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।		

7	The lay out plan of the proposed forest land shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	है कि पर्यावरण एवं वन विभाग की अनमति		
8	The forest land proposed for diversion shall, under no circumstances, be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	 कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रोलय, भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना किसी दुसरे विभाग/संस्था/व्यक्ति को वन भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय all acts, Rules, Regulation and Guidelines का पालन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्गत वन (संरक्षण) संबंधी सभी आदेश 		
9	The user agency and the State Government shall ensure compliance to provision of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.			
10	Any other conditions that the Ministry of Environment & Forests may impose from time to time in the interest of afforestation, conservation and management of flora and fauna in the area, shall be complied by the user agency.			

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सभी अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को विषयगत परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.27 है० सुरक्षित वन घोषित, भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुशंसा प्राप्त है। अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह०/– (राकेश कुमार) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 205

दिनांक- 24/02/202/

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, अररिया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेंश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) –सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Easter	rn Regio	nal Ranchi		1.51	
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Araria/ Forest Division-Araria					
3	Name of User Agency nature of proposal	The E	The Executive Engineer NH Division Araria				
4	Extent of forest area involved	0.27 ha					
5	Whether Original, or extension	Original					
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	NA					
7	Date of 1st stage Clearance	01.03	.2019				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.						
	a. Compensatory Afforestation	38,37,922/-					
	b. Additional CA				1100		
	C. Penal CA						
	d. Catchment Area Treatment		1			212	
	e. Wildlife Management Plan						
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas					P	
	g. Net present Value	1,69,0	020/-			121	
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)						
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph 9	S. N o	MODE Remtt.	UTR No. and Dated	Amount	Head	
		1	RTGS	P20050642353452 dt.	1,69,020/-	NPV	
			-	06.05.2020	38,37,922/-	CA	
10	Whether deposited by	Allah	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated.				
10	RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	06.05.2020					
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex] in which deposited, with date of deposition	All above RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA dated. 06.05.2020					
12	Any other remarks			and the second			

Signature of APCCF (CAMPA), -Cum-Nodal Officer (FC)